कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी

शीशमबाग वन परिसर, जेल रोड, हीरानगर, हल्द्वानी, जिला नैनीताल
E-mail : dfote@rediffmail.com, Phone: 05946-254309, Fax: 05946-250298

पत्रांक 3465/12-1 हल्द्वानी, दिनांक 21-11-2023

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड
लो०नि०वि० खटीमा,
ऊधम सिंह नगर।

विषयः– मा0 मु0 घोषणा संख्या–19/2018 के अन्तर्गत विधानसभा नानकमत्ता के ग्राम देवीपुरा से ज्ञानपुर गोढ़ी मोटर मार्ग एवं किमी0 2 पर 60 मीटर स्पान के आर0सी0सी0 पी0एस0सी0, गर्डर पुल के निर्माण हेतु 0.98 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भः– उत्तराखण्ड शासन का पत्रांकः 1426/x-3-23/1(88)/2023 दिनांक–06.11.2023 (संलग्न) एवं आपका पंत्रांक–2184/12सी0 दिनांक–08.11.2023 ।

महोदय

उपरोक्त भारत सरकार का संदर्भित पत्र जो आपको एवं इस कार्यालय को पृष्ठकिंत है, के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त विषयक प्रकरण में भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गयी है। शर्तो/प्रतिबन्धों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

–सैद्धान्तिक स्वीकृति के अनुपालन में शर्त संख्या–3 प्रतिपूरक वनीकरणः–

(क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिये 1960 पौधों का रोपण कार्य किया जायेगा एवं दस वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि @CA rate for 1.96 है0(वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जायें।

उक्त बिन्दु के अनुपालन में प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–1459/12–1 दिनांक–01.07.2021 के द्वारा वर्ष 2021–22 से वर्ष 2023–24 तक क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दरों को शासनादेश दिनांक–30.11.1989 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार निम्न प्रकार पुनः निर्धारण किया गया है, जिसके अनुसार उक्त परियोजना हेतु 10 वर्षो के अनुरक्षित के लिये 1.96है0 में वित्तीय वर्ष 2023–24 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दर 448791.00 रूपये प्रति है0 के अनुसार रूपये 879630.00 (आठ लाख उन्नासी हजार छः सौ तीस मात्र) की धनराशि का आंकलन किया जाता है। जिसका भुगतान आपके द्वारा किया जाना आपेक्षित है।

क्र0सं0	वित्तीय वर्ष	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दर(रूपये में)	उक्त परियोजना हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन भूमि (हैक्टेयर में)	आंकलित धनराशि (रूपये में)
1	2023–24	448791.00	1.96	879630.00

2. **सैद्धान्तिक स्वीकृति के अनुपालन में शर्त संख्या–4 शुद्ध वर्तमान मूल्य**

(ख) इस सबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(c) संख्याः 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2022, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ.सी.(pt.2) दिनांक– 18.09.2003,5–2/ 2006– एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक–05.02.2009 एवं 5–3/2011–एफ.सी. दिनांक–06.01.2022 में जारी दिशा–निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से प्रस्ताव के तहत 0.98 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।

Scanned with AnyScanner

उक्त बिन्दु के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण से प्रस्ताव के तहत 0.98 है0 वन भूमि हेतु रु–1094562.00(दस लाख चौरानवे हजार पॉच सौ बासठ रू0 मात्र) की धनराशि आंकलित की गयी है। जिसका भुगतान आपके द्वारा किया जाना आपेक्षित है।

S.No.	Eco-class	Open forest (In Rs.)	उक्त परियोजना हेतु वन भूमि (हैक्टेयर में)	आंकलित धनराशि (रूपये में)
1.	I	1116900.00	0.98	1094562.00

(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सवोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ–पत्र प्रस्तुत करेगा।

उक्त के अतिरिक्त भारत सरकार के संदर्भित पत्र द्वारा दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तो की बिन्दुवार अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित करने का का कष्ट करे।

भवदीय

(संदीप कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।

पत्रांक 3465 **/12–1 दिनांकित**
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. वन संरक्षक पश्चिमी वृत्त हल्द्वानी।
3. जिलाधिकारी जनपद ऊधमसिंह नगर।

(संदीप कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई पूर्वी वन प्रभाग,हल्द्वानी।

पत्रांक 3465 **/12–1 दिनांकित**
प्रतिलिपिः– वनक्षेत्राधिकारी द0जौलासाल को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त सैद्वान्तिक स्वीकृति की शर्त सं0–3**(ख)** जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः–

नोडल अधिकारी पौधोरोपण योजना के साथ क्षेत्र का नाम एवं Coordinates अंकित करते हुये डिजिटल मानचित्र एवं क्षेत्र का नाम शासन में प्रस्तुत करेगी।

उक्त बिन्दु के अनुपालन में प्रतिपूरक वनीकरण के लिये 1960 पौधो का रोपण 1.96 है0 में किया जाना है। अतः उपयुर्क्त भूमि का चयन कर पौधोरोपण योजना के साथ क्षेत्र का नाम एवं Coordinates अंकित करते हुये डिजिटल मानचित्र एवं क्षेत्र का नाम इस कार्यालय में यथाशीघ्र उपलब्ध कराये।

(संदीप कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई पूर्वी वन प्रभाग,हल्द्वानी।

Scanned with AnyScanner